

36. अप्राधिकृत विकास के लिये या योजना के अनुरूपत

उपयोग से अन्यथा उपयोग करने के लिये शास्ति— कोई भी व्यक्ति, जो चाहे अपनी स्वयं की प्रेरणा पर या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर—

- (क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना,
- (ख) दी गई अनुज्ञा के या किसी ऐसी शर्त के जिसके कि अध्यक्षीन ऐसी अनुज्ञा दी गई हो, के उल्लंघन में,
- (ग) विकास संबंधी अनुज्ञा के सम्यक् रूप से प्रतिसंहत कर दिसे जाने के पश्चात् या
- (घ) ऐसी अनुज्ञा के जो सम्यक् रूप से उपान्तरित कर दी गई हो, के उल्लंघन में,

किसी भी भूमि के विकास का कोई कार्य प्रारम्भ करेगा, हाथ में लेगा या उसे कार्यान्वित करेगा या उसके किसी उपयोग में तब्दीली करेगा किसी भी ऐसी कार्यवाही पर जो कि धारा 37 के अधीन की जा सकती हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और चालू रहने वाले अपराध कर दशा में अतिरिक्त जुर्माना से जो अपराध चालू रहे दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

37. अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति—

(1) जहां धारा 36 में यथा उपदर्शित कोई विकास कार्यान्वित किया हो, वहां संचालक, एसे विकास के पांच वर्ष के भीतर, स्वामी पर सूचना तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना की तामील की तारीख से एक मास से कम तथा तीन मास से अधिक न हो, जैसे कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय—

- (क) उन मामलों में, जो कि धारा 36 खंड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, भूमि को उसकी उस अवस्था में प्रत्यावर्तित करें जो कि उक्त विकास के लिये जाने के पूर्व थी,
- (ख) उन मामलों में जो धारा 36 के खंड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, शर्तों का या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का पालन सुनिश्चित करें:

परन्तु जहां सूचना में भूमि के किसी उपयोग को बन्द कर दिये जाने की अपेक्षा की जाय वहां सूचना की तामील अधिभोगी पर भी की जायगी।

(2) विशिष्टतया, ऐसी सूचना में, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये—

- (क) किसी भवन या किन्ही संकर्म को तोड़ दिये जाने या परिवर्तित किये जाने।
- (ख) भूमि पर कोई निर्माण सम्बन्धी या अन्य संक्रियाएं किये जाने, या

- (ग) भूमि के किसी उपयोग को बन्द कर दिये जाने की अपेक्षा की जा सकेगी।
- (3) ऐसी सूचना में व्यथित कोई भी व्यक्ति सूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर तथा विहित रीति में संचालक की इस बात की अनुज्ञा के लिये आवेदन कर सकेगा कि उस भूमि पर किसी ऐसे भवन या संकर्मों को, जिनसे कि सूचना सम्बन्धित है, बना रहने दिया जाय भूमि कि किसी ऐसे उपयोग को जिससे कि सूचना सम्बन्धित है, चालू रहने दिया जाय और जब तक कि आवेदन का निपटारा न हो जाय तब तक सूचना प्रत्याहृत रहेगी।
- (4) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्ध जहां तक कि वे लागू हो सकते हों, उपधारा (3) के अधीन किये गये आवेदन को लागू होंगे।
- (5) यदि वह अनुज्ञा, जिसके कि लिये आवेदन किया गया है, दे दी जाती है, तो सूचना प्रत्याहृत हो जायेगी, किन्तु यदि वह अनुज्ञा, जिसके कि लिये आवेदन किया गया है, नहीं दी जाती, तो सूचना प्रवृत्त रहेगी, या यदि अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों के बनाये रखे जाने के लिये या भूमि के केवल किसी भाग का उपयोग रखने के लिये की जाती है, तो सूचना ऐसे भवनों या संकर्मों के बारे में या भूमि के ऐसे भाग के बारे में प्रत्याहृत हो जायेगी, किन्तु यथा स्थिति अन्य भवनों या संकर्मों के बारे में प्रवृत्त रहेगी, और तदुपरि स्वामी इस बात के लिये अपेक्षित किया जायेगा कि वह ए 'से अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भाग के बारे में उपधारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कार्रवाई करें।
- (6) यदि सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर या आवेदन के निपटारा के पश्चात् उतनी ही कालावधि के भीतर सूचना का या उसके उतने भाग का, जो कि प्रवृत्त हो, अनुपालन न किया जाय, तो संचालक—
- (क) सूचना का अनुपालन न करने के लिये स्वामी को अभियोजित कर सकेगा और जहां सूचना में भूमि के किसी उपयोग को बन्द कर दिये जाने की अपेक्षा की गई हो, वहां किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी जो सूचना के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करता हो, या जो सूचना के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करवाता हो, या किया जाने देता हो, अभियोजित कर सकेगा, और
- (ख) जहां सूचना में किसी भवन या संकर्मों के तोड़ दिये जाने या परिवर्तित किये जाने या किन्हीं निर्माण सम्बन्धी या अन्य संक्रियाओं के कार्यान्वित किये जाने की अपेक्षा की गई हो, वहां वह स्वयं, उस भूमि को उस अवस्था में प्रत्यावर्तित करवा सकेगा जिसमें कि वह विकास किये जाने के पूर्व थी और ए 'सी कार्यवाही जैसी कि संचालक आवश्यक समझे, जिसके कि अन्तर्गत किसी

भवन या संकर्मों का तोड़ा जाना या परिवर्तित किया जाना या कोई निर्माण संबंधी या अन्य संक्रियाओं का कार्यान्वित किया जाना आता है, करके अनुज्ञा की शर्तों का या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कर सकेगा और उसके द्वारा इस संबंध में उपगत किये गये व्ययों की रकम स्वामी से भू-राजस्व के बकाया की भौति वसूल कर सकेगा।

- (7) कोई भी व्यक्ति , जो, उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन अभियोजित किया गया हो, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जिसकी अवधी छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिये दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।